कार्रवाई | शताब्दीपुरम क्षेत्र में निगम, जिला और जेडीए की संयुक्त कार्रवाई

करोड़ों की शासकीय जमीन पर जमे कब्जे जमींदोज

नवभारत, जबलपुर। सुगम यातायात और शासकीय भूमियों के संरक्षण के लिए नगर निगम, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन एवं जबलपुर विकास प्राधिकरण के संयुक्त तत्वाधान में शताब्दीपुरम क्षेत्र में गुरुवार को प्रभावी अभियान चलाया गया। जे.डी.ए. की योजना क्रमांक 11 में वर्षों से जमा जमाया कब्जा हटाते हुए कुल 20 छोटे-बड़े स्थाई एवं अस्थाई अवैध अतिक्रमणों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया।

अपर आयुक्त सौरभ मिश्रा एवं देवेन्द्र चैहान ने बताया कि नगर निगम द्वारा 3 जे.सी.बी., 5 डम्फर, 8 योद्धा वाहनों और 70 से अधिक श्रमिकों की मदद से तेजी से स्थल से अतिक्रमण हटाये गए। उन्होंने बताया कि योजना क्रमांक 11 में अतिक्रमण हटने से जे.डी.ए. के लंबित विकास कार्यों और सार्वजनिक सुविधाओं के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है।

लंबे समय से जमा रखा था कब्जा

जानकारी के अनुसार अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई के दौरान कब्जाधारियों ने जमकर विरोध किया और कार्रवाई को रोकने का प्रयास किया लेकिन प्रशासन के सख्ती के सामने उनकी एक न चली और सारे अवैध कब्जों को कुछ ही देर में ध्वस्त कर दिया गया। विदित हो कि पिछले कई सालों से शताब्दीपुरम इलाके की जेडीए की जमीन पर कई लोगों ने अवैध कब्जा कर झुग्गी झोपड़ी बना ली थी। कार्रवाई के दौरान नगर निगम से अपर आयुक्त सौरव मिश्रा, देवेंद्र चौहान, अतिक्रमण अधिकारी कृष्णपाल सिंह रावत, एवं सहायक अतिक्रमण अधिकारी अखिलेश भदौरिया, दीपेन्द्र रावत, दल प्रभारी, जिला प्रशासन से एस.डी.एम. पंकज मिश्रा, जेडीए अधिकारी, पुलिस प्रशासन डी.एस.पी. अखिलेश, लॉर्डगंज थाना प्रभारी एवं भारी पुलिस बल मौजूद रहा।

जबलपुर-पाटन सड़क लोक निर्माण मंत्री की प्राथमिकता में नहीं

- अजय विश्नोई ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए साधा निशाना
- मुख्यमंत्री से सड़क निर्माण में हस्तक्षेप की मांग

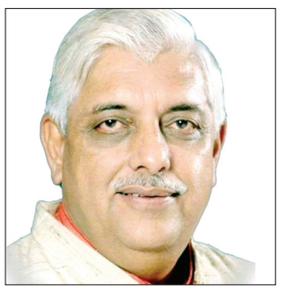

नवभारत,जबलपुर। भारतीय जनता पार्टी में एक बार फिर से अंतर्कलह सामने आई है। इस बार पूर्व मंत्री व पाटन विधायक अजय विश्नोई ने लोक निर्माण मंत्री पर आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया में पोस्ट की है और साथ ही सरकार को घेरा है। आरोप लगे हैं कि लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह द्वारा जबलपुर-पाटन सड़क के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण को शासन से स्वीकृति नहीं दिलवाई गई है क्योंकि ये उनकी प्राथमिकता में नहीं है।

विदित हो कि विधायक अजय विश्नोई अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते रहे हैं। लोक निर्माण मंत्री से कोई संतुष्ट जवाब न मिलने के बाद विधायक ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मुलाकात कर उन्हें पत्र सौंपा है। पत्र में बजट में शामिल जबलपुर-पाटन एवं पाटन-मानकेड़ी सड़क के निर्माण कार्य को प्राथमिकता देते हुए शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने और निर्माण शुरू कराने का आग्रह किया गया है। पूर्व मंत्री, विधायक अजय विश्नोई का कहना है कि यदि सड़क निर्माण में और देरी हुई तो भारी ट्रैफिक का दबाव इसी तरह बना रहेगा और दुर्घटनाओं का सिलसिला थमना मुश्किल होगा। उन्होंने सरकार से जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए शीघ्र निर्णय लेने की मांग की है।

पोस्ट में इन बातों का किया उल्लेख

विधायक अजय विश्नोई ने अपनी पोस्ट में लिखा कि भोपाल-जबलपुर के बीच शहपुरा पुल का निर्माण पूरा नहीं होने से पूरा हेवी ट्रैफिक पाटन होकर जबलपुर आ रहा है। यह सड़क इतने भारी ट्रैफिक के लिए बनाई ही नहीं गई थी, लेकिन लगातार भारी वाहनों की आवाजाही ने इसकी हालत पूरी तरह खराब कर दी है। इसका खामियाजा आम लोगों को हादसों के रूप में भुगतना पड़ रहा है। पूर्व मंत्री व विधायक अजय विश्नोई ने दावा किया कि जबलपुर-पाटन सड़क के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण की योजना को प्रदेश सरकार के बजट में शामिल किया जा चुका है, लेकिन यह सड़क लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह की प्राथमिकता में नहीं होने के कारण अब तक निर्माण कार्य को प्रशासनिक स्वीकृति नहीं मिल सकी है। विधायक के अनुसार भोपाल-जबलपुर मार्ग पर शहपुरा पुल का निर्माण अधूरा होने के कारण पाटन मार्ग पर डायवर्ट किए गए भारी वाहनों का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी बीच एक और सड़क हादसे में जान जाने के बाद पूर्व मंत्री एवं विधायक ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह पर निशाना साधा है।

नदी में बही महिला का 3 दिन बाद शव मिला

नवभारत, जबलपुर। भेड़ाघाट थाना अंतर्गत दलपतपुर घाट पर नदी में स्नान करने के दौरान पानी के तेज बहाव में बही महिला का शव तीन दिन बाद नदी से बरामद कर लिया गया है। जानकारी के अनुसार, चौकीलाल निवासी कुसुम बाई लोधी पति मूलचंद लोधी, (76), गत दिवस रोजाना की तरह दलपतपुर घाट पर स्नान करने के लिए गई थीं। घाट पर नहाने के दौरान अचानक उनका संतुलन बिगड़ गया और पैर फिसल गया। नदी का बहाव बेहद तेज होने के कारण बुजुर्ग महिला खुद को संभाल नहीं पाईं और देखते ही देखते पानी की तेज धारा में बह गईं थीं। जब कुसुम बाई काफी देर तक घर वापस नहीं

लौटीं, तो परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की। अनहोनी की आशंका को देखते हुए परिजनों ने तुरंत भेड़ाघाट थाने पहुंचकर पुलिस को मामले की जानकारी दी और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। सूचना मिलते ही पुलिस गोताखोरों से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। नदी का जलस्तर और तेज बहाव होने के कारण रेस्क्यू टीम को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लगातार तीन दिनों तक चले इस कड़े खोज अभियान के बाद, अंतत: रेस्क्यू टीम ने महिला के शव को ढूंढ निकाला और उसे नदी से बाहर निकाला। पुलिस ने शव का पंचनामा बनाकर उसे पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है।

अधिवक्ता को मिला साईकिल स्टैंड का ठेका अंतिम निर्णय के अधीन

- प्रमुख सचिव, सीएमएचओ अस्पताल अधीक्षक, टेंडर कमेटी व ठेकेदार फर्म से मांगा जवाब

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस एमएस भट्टी की एकलपीठ ने रानी दुर्गावती चिकित्सालय (लेडी एल्गिन हास्पिटल) में साइकिल स्टैंड संचालन के लिए दिए गए ठेके की वैधता को लेकर राज्य शासन सहित संबंधित अधिकारियों और ठेका प्राप्त फर्म को नोटिस जारी किए हैं।

न्यायालय ने मामले में स्पष्ट किया है कि निजी पक्ष के पक्ष में दिया गया टेंडर अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा। अगली सुनवाई 17 अगस्त से प्रारंभ होने वाले सप्ताह में होगी।

दरअसल, रानी दुर्गावती चिकित्सालय द्वारा साइकिल स्टैंड संचालन के लिए जारी निविदा में पीएस एंटरप्राइजेज और श्री नारायण सर्विसेज ने भाग लिया था। याचिकाकर्ता पीएस इंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर का आरोप है कि श्री नारायण सर्विसेज के प्रोपराइटर श्रीपाल सिंह राजपूत एमपी स्टेट बार काउंसिल में अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत हैं। बार काउंसिल आफ इंडिया के नियमों के अनुसार अधिवक्ता विधि व्यवसाय के अतिरिक्त अन्य व्यवसाय नहीं कर सकता, इसके बावजूद उन्हें ठेका प्रदान कर दिया गया। याचिकाकर्ता ने अस्पताल प्रबंधन के समक्ष इस संबंध में लिखित आपत्ति भी प्रस्तुत की थी, लेकिन आपत्ति पर विचार किए बिना टेंडर श्री नारायण सर्विसेज के पक्ष में स्वीकृत कर दिया गया। इसके बाद पीएस एंटरप्राइजेज ने हाईकोर्ट की शरण ली। न्यायालय ने प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग, सीएमएचओं, अस्पताल अधीक्षक, टेंडर कमेटी की अध्यक्ष डॉ. भावना मिश्रा, सदस्य डॉ. रश्मि कुररिया, डॉ. हेमा बिसेन, केके बिल्थरे व नारायण सर्विसेज के प्रोपराइटर श्रीपाल सिंह राजपूत को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता तकमील नासिर ने पैरवी की।

ओबीसी की 51 फीसदी आबादी को महज 14 प्रतिशत आरक्षण

मप्र हाईकोर्ट में ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) आरक्षण से जुड़े प्रकरणों की सातवें दिन गुरुवार को भी सुनवाई जारी रहीं। हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद पाठक व जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ के समक्ष हुई सुनवाई दौरान सर्व प्रथम ओबीसी आरक्षण के विरोध में दायर सभी मामलों में सुनवाई हुई, जिसके पश्चात् ओबीसी आरक्षण के समर्थन तथा आबादी के अनुपात में आरक्षण दिए जाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर विचार हुआ। याचिकाकर्ता संस्था एडवोकेट यूनियन फॉर डेमोक्रेसी एंड सोशल जस्टिस की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर व अधिवक्ता विनायक प्रसाद शाह ने दलील दी कि मध्य प्रदेश में सभी वर्गों को सिर्फ ओबीसी आरक्षण से ही आपत्ति है। उन्होंने आंकड़े प्रस्तुत करते हुए कहा कि प्रदेश में अनुसूचित जाति की आबादी 15.6 फीसदी है, जबकि इनका आरक्षण 16 फीसदी है। अनुसूचित जनजाति की आबादी 21.01 फीसदी व आरक्षण 20 फीसदी है। वहीं सामान्य वर्ग की आबादी महज 13 फीसदी है, जबकि इन्हें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के नाम पर 10 फीसदी आरक्षण है। जबकि ओबीसी की आबादी 51 फीसदी है, लेकिन इन्हें आरक्षण मात्र 14 फीसदी ही है। तर्क दिया गया कि जब सरकार ने ओबीसी आरक्षण बढ़ाकर 27 फीसदी किया, तो सवर्ण वर्ग द्वारा व्यापक विरोध करते हुए हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सैकड़ों याचिकाएं दाखिल कर दी गईं, जिनमें मध्य प्रदेश सरकार के जिम्मेदार अधिकारी भी शामिल हैं।

3.67 करोड़ की अचल संपत्ति ईडी ने की जब्त

- विदेशी मुद्रा को भारत लाने के बजाय रकम अमेरिका से पुर्तगाल भेजी, आलीशान संपत्ति खरीदी

नवभारत, जबलपुर। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विदेशी मुद्रा अधिनियम के प्रावधानों के तहत जबलपुर में 3.67 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्ति जब्त की है। यह जब्ती प्रियांक मेहता के खिलाफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के प्रावधानों के उल्लंघन के कारण की गई। सूत्रों के मुताबिक जांच में पता चला कि प्रियंका मेहता ने अमेरिका में ईबी-5 वीजा प्रोग्राम में निवेश के लिए लिबरलाइज़्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत 5,48,000 अमेरिकी डॉलर की विदेशी मुद्रा भेजी थी, लेकिन 5,02,954 अमेरिकी डॉलर की विदेशी मुद्रा का इस्तेमाल उस मकसद के लिए नहीं किया गया। ईडी जांच में यह भी पता चला कि वापस मिली विदेशी मुद्रा को भारत लाने के बजाय, प्रियंका मेहता ने उस रकम को सीधे अमेरिका से पुर्तगाल ट्रांसफर कर दिया। बाद में, वापस मिली रकम को भारत से भेजे गए अतिरिक्त पैसे के साथ मिलाकर पुर्तगाल में एक आलीशान अचल संपत्ति खरीदने में इस्तेमाल किया गया, जबकि बाकी रकम पुर्तगाल के एक विदेशी बैंक खाते में ही रखी रही। भारत के बाहर विदेशी मुद्रा और संपत्ति हासिल करना, रखना और इस्तेमाल करना फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, 1999 की धारा 4 और धारा 10(6) के नियमों का उल्लंघन है। इसीलिए, ईडी ने जबलपुर, मध्य प्रदेश में प्रियंका मेहता की 3.67 करोड़ रुपये (लगभग) की अचल संपत्ति जब्त की है। यह रकम एफइएम के नियमों का उल्लंघन करके भारत के बाहर रखी गई 5,02,954 अमेरिकी डॉलर की विदेशी मुद्रा की कीमत के बराबर है। आगे की जांच चल रही है। विदित हो कि बिल्डर प्रियांक मेहता के यहां सितम्बर 2023 में आयकर विभाग की टीम ने छापमारी की थी। विदेशी संपत्तियां उजागर हुई थी। इस दौरान जमीनों की खरीद फरोख्त से जुड़े अहम दस्तावेज आयकर विभाग के हाथ लगे थे। इसी मामले में ईडी की एंट्री हुई थी और 19 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जबलपुर में बिल्डर प्रियांक मेहता के ठिकानों पर छापेमारी की थी। यह कार्रवाई विदेशी मुद्रा अधिनियम की धाराओ के तहत की गई थी। यह कार्रवाई इनकम टैक्स से मिली खास जानकारी और ईडी की जांच के आधार पर की गई थी।अब ईडी ने एन ने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत जबलपुर, में 3.67 करोड़ रुपये की कीमत वाली एक अचल संपत्ति जब्त की है।

1 अगस्त से तत्काल टिकट के लिए नई टोकन व्यवस्था होगी लागू

जबलपुर। पश्चिम मध्य रेलवे ने तत्काल टिकट आरक्षण प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सुव्यवस्थित और यात्री-अनुकूल बनाने के लिए 1 अगस्त से नई टोकन व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। यह व्यवस्था जबलपुर रेल मंडल सहित पश्चिम मध्य रेलवे के सभी आरक्षण केंद्रों पर प्रभावी होगी। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक डॉ. मधुर वर्मा ने बताया कि एसी श्रेणी के लिए टोकन सुबह 8:30 से 9:00 बजे तथा नॉन-एसी श्रेणी के लिए 9:00 से 9:30 बजे तक वितरित किए जाएंगे। प्रत्येक काउंटर पर एसी के 10 और नॉन-एसी के 15 टोकन जारी होंगे, जबकि भीड़ के अनुसार इनकी संख्या बढ़ाई या घटाई जा सकेगी।
प्रस्तुत करनी होगी मान्य फोटो - नई व्यवस्था के तहत स्वयं या परिवार के लिए तत्काल टिकट लेने वाले यात्रियों को प्राथमिकता मिलेगी, जिसके लिए आधार कार्ड या रेलवे द्वारा मान्य फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। टोकन पूरी तरह अहस्तांतरणीय होंगे और केवल उसी व्यक्ति को टिकट मिलेगा, जिसके नाम पर टोकन जारी किया गया होगा।

बिना अनुमति बनाई कॉलोनी, 38 प्लाट बेचे बिल्डर के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर

नवभारत,जबलपुर। कुंडम थाना अंतर्गत पड़रिया में बिना विकास अनुज्ञा के अवैध कॉलोनी बनाकर 38 प्लाट बेच दिए गए। मामले में पुलिस ने बिल्डर के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है।

पुलिस के मुताबिक दीपक साहू पिता राजकुमार साहू निवासी ग्राम पड़रिया थाना कुण्डम द्वारा पड़रिया में स्थित खसरा नम्बर 241/1 रकवा 0.3000 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 241/2 रकवा 0.1000 हेक्टेयर एवं खसरा नम्बर 241/3 रकवा 0.1100 हेक्टेयर कुल रकवा 0.5100 हेक्टेयर में कुल 38 भू खण्डों में बिना विकास अनुज्ञा प्राप्त किये भू खण्डों (भूमि) पर रोड नाली, पानी की टंकी, गार्डन का विकास कर अवैध कॉलोनी निर्माण किया गया। बिना किसी सक्षम प्राधिकारी के कॉलोनाईजर रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र, नगर, ग्राम निवेश ले-आउट अनुमोदन एवं बिना विकास अनुज्ञा प्राप्त किये कुल 38 अवैध भू खण्डों (प्लाट्स) का विभाजन कर अवैधानिक रूप से विक्रय किया गया है शासन के नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है।

गरज-चमक, तेज हवाओं और कहीं-कहीं ओलावृष्टि का अलर्ट

नवभारत, जबलपुर। जबलपुर जिले में मानसून लगातार सक्रिय बना हुआ है। गुरुवार को 15.6 मिमी वर्षा दर्ज की गई, जिससे मौसम खुशनुमा हो गया और अधिकतम तापमान गिरकर 28.2 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। मौसम विज्ञान कार्यालय ने अगले 24 घंटे के लिए जिले के कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ वर्षा, कहीं-कहीं ओलावृष्टि तथा 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है।

मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण-पश्चिम दिशा से हवाएं चल रही हैं। किसानों और आम नागरिकों को खराब मौसम के दौरान खुले मैदानों, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी गई है।

खेती-किसानी पर असर

विशेषज्ञों के अनुसार 15.6 मिमी की मध्यम बारिश खरीफ फसलों के लिए सामान्य तौर पर लाभदायक मानी जाती है। इससे धान, सोयाबीन, मक्का, उड़द और अन्य खरीफ फसलों को पर्याप्त नमी मिलती है, जिससे फसलों की बढ़वार बेहतर होती है और सिंचाई की आवश्यकता भी कम पड़ती है।

हालांकि, मौसम विभाग ने गरज-चमक, तेज हवाओं और कहीं-कहीं ओलावृष्टि की संभावना जताई है। यदि ओले गिरते हैं या तेज हवाएं चलती हैं तो खेतों में खड़ी फसल, सब्जियां तथा केले और मक्का और उड़द जैसी फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। ऐसे में किसानों को खेतों में जल निकासी की व्यवस्था बनाए रखने और मौसम साफ होने तक कृषि कार्यों में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

धरना | टीआई समेत पुलिस कर्मियों पर दर्ज हो अपराधिक प्रकरण, कांग्रेस नेताओं पर दर्ज एफआईआर 7 दिन में वापस हो वरना होगा उग्र प्रदर्शन

पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव, धरने पर बैठे कांग्रेसी

नवभारत, जबलपुर। मालवीय चौक पर राहुल गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में हुए प्रदर्शन के बाद कांग्रेस नेताओं पर हुई पुलिसिया कार्रवाई के विरोध में शहर (जिला) कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में गुरूवार शाम को कांग्रेसियों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव किया और धरने पर बैठ गए।

शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सौरभ नाटी शर्मा ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं व आम जन को धरना प्रदर्शन का अधिकार है कांग्रेस कमेटी के नेताओं के द्वारा मालवीय चौक पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जा रहा था

किंतु वहां उपस्थित पुलिस के कुछ अधिकारियों एवं स्टाफ द्वारा कांग्रेसजनों के साथ धक्का मुक्की और मारपीट शुरू कर दी जिस कारण से वहां अफरातफरी मच गई थी। जिसमें काँग्रेस अध्यक्ष कांग्रेस सौरभ नाटी शर्मा, आलोक मिश्रा सहित अनेकों लोग जमीन पर गिर गये थे पुलिस अधिकारी के द्वारा आलोक मिश्रा की कॉलर पकड ली गई थी और अभद्रता की गई। पुलिस ने राजनीतिक दबाव में आकर एफआईआर दर्ज की है। घटना के समय के जो वीडियो फुटेज उपलब्ध हैं, उनमें पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच की हकीकत कुछ और ही नजर आ रही है। पूर्व मंत्री तरुण भनोट के पुलिस अधीक्षक से कहा कि कांग्रेस नेताओं के साथ मारपीट करने वाले कोतवाली थाना प्रभारी मानस द्विवेदी एवं उनके सहयोगीयों पर अपराधिक मुकदमा दायर कर वैधानिक कार्यवाही हो और कांग्रेस नेताओं पर दर्ज झूठे मुकदमे को अगर 7 दिवस में नहीं हटाया गया, तो समूची कॉंग्रेस पार्टी पुलिस प्रशासन के खिलाफ 7 दिवस पर उग्र आंदोलन करने बाध्य होगी, और उसकी पूरी जवाबदारी जिला व पुलिस प्रशासन की होगी।

क्या है मामला

विदित हो कि राहुल गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में मंगलवार देर रात मालवीय चौक पर सैकड़ों कांग्रेसियों ने जोरदार प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच तीखी झड़प हो गई थी जिसके बाद हालात तनावपूर्ण बन गए थे। पुलिस और कांग्रेसियों के बीच धक्कामुक्की हुई थी। मामले में कांग्रेस नेता आलोक मिश्रा, अभिषेक चिंटू चौकसे के खिलाफ नामजद समेत एक अज्ञात के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने समेत अन्य धाराओं के तहत लार्डगंज थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। जिसके विरोध में गुरूवार को कांग्रेसियों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव किया।

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशीष श्रोती द्वारा नेपियर टाऊन बस स्टैण्ड जबलपुर से प्रकाशित एवं नेपियर टाऊन बस स्टैण्ड जबलपुर से मुद्रित. स्थानीय संपादक अविनाश दीक्षित*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन-0761-4109072, E mail-navbharatjabalpur@gmail.com पो.रजि.नं.201-04/2003 RNI Reg No.1537/57